महिला शक्ति केन्द्र स्कीम
कार्यान्वयन दिशा-निर्देश

राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए

नवम्बर, 2017

नए समाज की ओर
Towards a new dawn

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

विषय तालिका

क्रम संख्या		पृष्ठ संख्या
1	महिला शक्ति केन्द्र (एमएसके) स्कीम की प्रस्तावना	3
2	उद्देश्य	3
3	कार्यनीति	3
4	स्कीम के घटक	4
5	कवरेज़	5
6	समग्र मार्ग-दर्शन एवं पर्यवेक्षण	6
7	वित्त पोषण अनुपात	7
8	राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की भूमिका	7
9	फीडबैकव्यवस्था	9
10	प्रदेय एवं परिणाम संकेतक	9
11	महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केन्द्र (एसआरसीडब्ल्यू) (विवरण)	10-15
12	महिलाओं के लिए जिला स्तरीय केन्द्र (डीएलसीडब्ल्यू) (विवरण)	16-20
13	एमएसके - ब्लॉक स्तर (विवरण)	20-25
	अनुलग्नकों की सूची	
अनुलग्नक-I	उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का फार्मेट (यूसी)	23
अनुलग्नक-II	व्यय विवरणी प्रस्तुत करने का फार्मेट (एसओई)	24-26
अनुलग्नक-III	अति पिछड़े 115 जिलों की सूची	27-29
अनुलग्नक-IV	640 जिलों की सूची - जनगणना 2011	30-44

महिला शक्ति केन्द्र स्कीम

1. प्रस्तावना :

वित्त मंत्री के बजट भाषण (2017-18) में "कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण के अवसरों के साथ ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक वन स्टॉप अभिसरण समर्थन सेवाएं" प्रदान करने हेतु "महिला शक्ति केंद्र" की स्थापना करने की घोषणा की गई ।

तदनुसार, अम्ब्रैला स्कीम प्रधान मंत्री महिला सशक्तिकरण योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत महिला शक्ति केंद्र (एमएसके) नामक एक नई उप-योजना को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक कार्यान्वित करने के लिए मंजूरी दी गई है । यह योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए सरकार से अपने अधिकार प्राप्त करने और जागरूकता सृजन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करेगी । छात्र स्वयंसेवक, स्वैच्छिक समुदाय सेवा और लैंगिक समानता की भावना को प्रोत्साहित करेंगे । ये छात्र स्वयंसेवक "परिवर्तन के एजेंट" के रूप में कार्य करेंगे और इससे उनके समुदायों तथा राष्ट्र पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा ।

2. उद्देश्य:

नई योजना एमएसके के लिए परिकल्पना की गई है कि यह विभिन्न स्तरों पर काम करे । राष्ट्रीय स्तरीय (डोमेन आधारित ज्ञान समर्थन) और राज्य स्तरीय (महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केंद्र) संरचनाएं जहां संबंधित सरकारों को महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर तकनीकी सहायता प्रदान करेंगी, वहीं जिला और ब्लॉक स्तरीय केंद्र एमएसके को सहायता प्रदान करेंगे और चरणबद्ध तरीके से कवर किए जाने हेतु 640 जिलों में बीबीबीपी सहित महिला सशक्तिकरण स्कीमों को अपना अस्तित्व बनाने के लिए आधार भी प्रदान करेंगे ।

एमएसके ब्लॉक स्तरीय पहल के एक हिस्से के रूप में छात्र स्वयंसेवकों के माध्यम से 115 सबसे पिछड़े जिलों में समुदाय को विनियोजित करने की परिकल्पना की गई है । छात्र स्वयंसेवक विभिन्न महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं / कार्यक्रमों के साथ-साथ सामाजिक मुद्दों, जिनका निर्दिष्ट ब्लॉक (या समतुल्य प्रशासनिक इकाई, जहां ऐसे ब्लॉक न हों) में महिलाओं के जीवन पर प्रभाव है, के बारे में जागरूकता पैदा करने में सहायक भूमिका निभाएंगे ।

3. कार्यनीति:

महिला सशक्तिकरण बहु-आयामी है और एमएसके के तहत प्रदान की गई सेवाएं जिला / ब्लॉक स्तर पर सरकार की विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों के उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाने पर काम करेगी । छात्र स्वयंसेवक ब्लॉक स्तरीय हस्तक्षेप के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण निमित्त सरकारी योजनाओं / कार्यक्रमों, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के बारे में जागरूकता सृजन का काम करेंगे । वे ग्रामीण महिलाओं को अपने पात्र हक प्राप्त करने के लिए सरकार से संपर्क कर सकने हेतु इंटरफ़ेस प्रदान करेंगे । तदनुसार, इस योजना के तहत राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर मैकेनिज्म्स प्रदान किए गए हैं । यह योजना राज्य सरकार / संघ शासित प्रदेश के प्रशासन के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी ।

4. एमएसके स्कीम के घटक:

4.1 **राष्ट्रीय स्तर**: राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ अभिसरण के माध्यम से ऐसी स्कीमों के संकल्पनात्मक एवं कार्यक्रमात्मक आधार को मजबूत करने के उद्देश्य से डोमेन आधारित विशेषज्ञ सरकार की महिलाओं से संबंधित सभी केन्द्रीय स्कीमों / कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहायता करेंगे । जेंडर संबंधी मुद्दों पर अभिज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण पर बल दिया जाएगा।

4.2 **राज्य स्तर**: राज्य स्तर पर, राज्य सरकारों (महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण विभाग) के अन्तर्गत् राज्य महिला संसाधन केन्द्र (एसआरसीडब्ल्यू), राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर समन्व्य के माध्यम से महिलाओं के लिए सभी कार्यक्रमों, कानूनों तथा स्कीमों को कार्यान्वित करने के प्रति तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। राज्य महिला संसाधन केन्द्र (एसआरसीडब्ल्यू) मौजूदा नीतियों, कार्यक्रमों और विधानों की समीक्षा तथा मूल्यांकन करना जारी रखेंगे ताकि तिरछी काट एवं बहु-अनुशासनिक प्रकृति वाली गतिविधियां लाभार्थियों को सुलभ होने के लिए सुव्यवस्थित ढंग से सह-क्रियात्मक हो सकें । प्रत्येक राज्य महिला संसाधन केन्द्र (एसआरसीडब्ल्यू) के लिए पांच स्टॉफ मेम्बर्स का प्रावधान है ।

4.3 **जिला स्तर**: एक नए घटक यथा महिलाओं के लिए जिला स्तरीय केन्द्र (डीएलडब्ल्यूसी) की परिकल्पना की गई जो 640 जिलों को कवर करने के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सरकारी कार्यक्रमों, स्कीमों और सेवाओं (बीबीबीपी, वन स्टॉप सेन्टर, महिला हैल्पलाइन, महिला पुलिस वालियन्टर्स, स्वाधार, उज्ज्वला आदि सहित) के बारे में सूचना को मिलाएगा और ग्राम/ब्लॉक तथा राज्य स्तर के मध्य एक लिंक के रूप में कार्य करेगा । ये केन्द्र जिला स्तर पर बीबीबीपी स्कीम के लिए आधार भी तैयार करेगी । डीएलडब्ल्यूसी संबंधित जिले में सभी नागरिकों (महिलाओं को वरीयता दी जाएगी) को महिलाओं से संबंधित स्कीमोंके बारे अपेक्षित जानकारी प्रदान करेंगे। डीएलडब्ल्यूसी सरकार की महिला केन्द्रित स्कीमों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकारों और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मध्य एक लिंक के रूप में कार्य करेगा । प्रत्येक डीएलडब्ल्यूसी में तीन व्यक्ति (अनुबंधित स्टाफ) कार्यरत होंगे और वे जिला कलेक्टर / उपायुक्त के मार्ग-दर्शन में काम करेंगे और सीईओ, जिला परिषद, कानून लागू करने वाली एजेंसियों, अर्ध-सरकारी निकायों, अन्य विभागों आदि के साथ अभिसरण में काम करेंगे ।

4.4 **ब्लॉक स्तर**: एमएसके के तहत गतिविधियों को ग्राम पंचायत स्तर पर क्रियान्वित किया जाएगा तथा ब्लॉक / तालुका स्तरीय केन्द्रों के माध्यम से सुलभ कराया जाएगा जो फोकल-बिन्दु के रूप में कार्य करेगा और एमएसके-ब्लॉक स्तरीय कहलाएगा । ब्लॉक स्तरीय केन्द्र डीसी/डीएम द्वारा यथा-नामित सदस्यों सहित ब्लॉक स्तरीय समिति (बीएलसी) द्वारा चलाए जाएंगे । ब्लॉक स्तरीय पहल ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए छात्र स्वयंसेवकों को शामिल करते हुए उनके जरिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए है और उसमें एनएसएस / एनसीसी के कॉडर छात्रों को भी साथ लिया जा सकता है । ये चयनित ब्लॉक में सभी ग्राम पंचायतों/आंगनवाड़ी केन्द्रों को कवर करेगी । ग्राम पंचायत स्तर पर सेवाएं अग्रणी कार्यकर्त्ताओं जैसे मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (एएसएचए), आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू), ऑक्जीलरी नर्स मिडवाईफ (एएनएम), कॉमन सेवा केन्द्रों(सीएससी), महिला स्व:सहायता समूहों, बैंक संपर्की, शिक्षा मित्र, कृषि मित्र, चयनित महिला प्रतिनिधि (ईडब्ल्यूआर), संरक्षण अधिकारी (वीएडब्ल्यू), महिला पुलिस वॉलियन्टर्स (एमपीवी), न्याय मित्र आदि के साथ अभिसरण के जरिए प्रदान की जाएंगी । प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम एमएसके स्कीम के भाग के रूप में शुरू किए जाएंगे । प्रशिक्षण एवम् क्षमता निर्माण के लिए कार्यनीति, विविध हितधारकों (चयनित महिला प्रतिनिधि, क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं, महिलाओं के सामूहिक सदस्यों तथा वैयक्तिको सहित स्टॉफ) की आवश्यकताओं, प्रशिक्षण आवश्यकताओं (संवेदीकरण, जागरूकता सृजन, तकनीकी कौशल, व्यवहार परिवर्तन), रूपात्मकता (प्रत्यक्ष अथवा एजेंसियों के जरिए) में कारक होगी ।

5. **कवरेज**:

राज्य महिला संसाधन केन्द्र (एसआरसीडब्ल्यू) सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए है । महिलाओं के लिए जिला स्तरीय केन्द्र (डीएलसीडब्ल्यू) 640 जिलों में चरणबद्ध ढंग से स्थापित किए जाएंगे । प्रथम वर्ष (2017-18) में 220 जिलों में डीएलसीडब्ल्यू स्थापित किए जांएगे, दूसरे वर्ष 220 नए जिलों को शामिल किया जाएगा और तीसरे वर्ष (2019-20) में 200 नए जिलों को शामिल किया जाएगा । ब्लॉक स्तरीय पहल 115 अति पिछड़े ब्लॉकों (नीति आयोग द्वारा पहचाने गए अनुसार) को कवर किया जाएगा ।

6. **समग्र मार्ग-दर्शन एवं पर्यवेक्षण**:

6.1 **राष्ट्रीय स्तर**: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में और संबंधित संयुक्त सचिव, वित्त सलाहकार तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को सदस्यों के रूप में शामिल करते हुए एक कार्य बल स्थापित किया जाएगा । यह कार्य -बल देश में

एसआरसीडब्ल्यू, डीएलसीडब्ल्यू तथा एमएसके की मॉनिटरिंग, कार्यचालन में समन्व्य तथा कोर्स सुधार निमित्त एक तंत्र विकसित करेगा । सचिव, महिला एवं बाल विकास मूल उद्देश्य, लक्ष्य और स्कीम की विषय-वस्तु पर बिना कोई प्रभाव डाले तथा बिना अतिरिक्त आर्थिक विविक्षाओं के जरूरतमंद मामलों में परिचालन आवश्यकताओं के लिए एमएसके के दिशा-निर्देशोंमें लघु परिवर्तन कर सकते हैं । एमएसके स्कीम के क्रियान्वयन में सहायता तथा ऑन-लाइन मानिटरिंग की सुविधा के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल विकसित किया जाएगा ।

6.2 **राज्य स्तर**:

एसआरसीडब्ल्यू, डीएलसीडब्ल्यू तथा एमएसके के कार्यचालन की समीक्षा करने के लिए महिला एवं बाल विकास / समाज कल्याण के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में और अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों को सदस्यों के रूप में शामिल करते हुए एक कार्य बल स्थापित किया जाएगा । यह कार्य-बल एसआरसीडब्ल्यू, डीएलसीडब्ल्यू तथा एमएसके की मॉनिटरिंग, समन्वय, उनके कार्यचालन की समीक्षा तथा कोर्स सुधार करेगा । राज्य स्तरीय कार्य-बल टीम आवधिक आधार पर उसे भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को रिपोर्ट करेगी ।

6.3.**जिला स्तर**:

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिले के सभी हितधारकों के प्रतिनिधित्व सहित गठित कार्य-बल, डीएलसीडब्ल्यू तथा ब्लॉक स्तरीय - एमएसके की मॉनिटरिंग, समन्वय, उनके कार्यचालन की समीक्षा तथा कोर्स सुधार के लिए उत्तरदायी होगा । जिला स्तरीय कार्य-बल टीम, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के कार्य-बल टीमों को रिपोर्ट करेगी ।

6.4 **ब्लॉक स्तर**:

ब्लॉक स्तरीय समिति (बीएलसी) चयनित जिलोंमें विभिन्न कालेजों से 25 छात्र स्वयंसेवकों के आठ बैच तक चयन करेगी । एनएसएस / एनसीसी के कॉडर छात्रों को भी शामिल किया जा सकता है । यह समिति छात्र स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित करेगी । समिति के संकाय सदस्य छात्र स्वयंसेवकों की गतिविधियों को मॉनिटर करेगी तथा उनका मार्ग -दर्शन करेगी । समिति के संकाय सदस्यों की इनपुट के आधार पर परिणाम आधारित संकेतक मिलाएं जाएंगे और जिला स्तरीय कार्य बल (डिर्स्टिक्ट लेवल टॉस्क फोर्स) को संप्रेषित किए जाएंगे । ब्लॉक स्तरीय समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा कवर किए गए भोगौलिक क्षेत्र में, छात्रों में गतिविधियों और प्रयासों को बार-बार न दोहराया जाए। यह समिति छात्र स्वयं सेवकों द्वारा प्रसार के लिए आईईसी सामग्री भी तैयार करेगी। ब्लॉक स्तरीय समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि तैयार की गई आईईसी सामग्री में जिला /राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर स्थानीय तौर पर कार्यान्वित स्कीमों के बारे में समुचित जानकारी दी गई है। छात्र स्वयं -सेवियों का इस संबध में उचित रुप से उन्मुखीकरण किया जाना चाहिए। यह समिति, उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्य बल (डिर्स्टिक्ट लेवल टॉस्क फोर्स) के मार्गदर्शन अधीन कार्य करेगी ।

7. **निधियन अनुपात**:

महिला शक्ति केंद्र का कार्यान्वयन केंद्र और राज्यों के मध्य , पूर्वोत्तर और विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को छोड़ कर जिनके लिए लागत साझेदारी का अनुपात 90:10 है, लागत साझेदारी के आधार पर 60:40 के अनुपात में किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में यह स्कीम 100 प्रतिशत केंद्रीय निधि से कार्यान्वित की जाएगी। स्कीम के अंतर्गत सभी भुगतान अनिवार्य रुप से डीबीटी पद्धति के तहत पीएफएमएस के माध्यम से किए जाएंगे ।

8. राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों की भूमिका :

8.1 मुख्य सचिव/संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासक/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन, एमएसके स्कीम के मार्गदर्शन और मॉनीटरिंग के लिए स्थापित राज्य कार्य बल की कार्य प्रक्रिया का अवलोकन करेंगे।

8.2. एसआरसीडब्ल्यू, डीएलसीडब्ल्यू और ब्लॉक स्तरीय- महिला शक्ति केंद्रों के क्रिया कलापों की समीक्षा करने के लिए महिला एवं बाल विकास /समाज कल्याण के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में और अन्य विभागों के प्रतिनिधियों के सदस्य के तौर पर एक राज्य कार्य बल की स्थापना की जाएगी ।

8.3 राज्य कार्य बल(स्टेट टास्क फोर्स), स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों (एसआरसीडब्ल्यू, डीएलसीडब्ल्यू और ब्लॉक स्तर पर एमएसके) पर मानव संसाधनों की भर्ती/नियुक्ति करेगा ।

8.4. संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के संबंधित महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण विभाग कार्य योजनाओं(एसआरसीडब्यू/डीएलसीडब्ल्यू और ब्लॉक स्तर पर एमएसके) और गतिविधि रिपोर्ट का मिलान(कोलेट), जांच पडताल और तथा उन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग को अग्रेषित करने के लिए उनका अनुमोदन करेगा।

8.5 संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के बाल विकास विभाग / समाज कल्याण विभाग, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षारित उपयोगिता प्रमाण पत्र /व्यय विवरण (अर्धवार्षिक आधार पर) भेजेंगे ।

जिला स्तर

8.6 जिलों के सभी हितधारकों के प्रतिनिधित्व सहित जिला कलक्टर की अध्यक्षता में स्थापित एक कार्य बल (टास्क फोर्स) डीएलसीडब्ल्यू की कार्य पद्धति के अवलोकन, मॉनीटरिंग, समन्वयन समीक्षा तथा पद्धति में सुधार के लिए उत्तरदायी होगा । जिला स्तरीय कार्य बल (डिस्ट्रिक्ट लेवल टॉस्क फोर्स), राज्यों तथा राष्ट्रीय स्तर के कार्य बल/ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को रिपोर्ट करेगा।

8.7 जिला स्तरीय कार्य बल, डीएलसीडब्ल्यू की उपस्थिति और गतिविधियों तथा महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण विभागों को अग्रेषित की जाने वाली उन मासिक रिपोर्टों को मॉनीटर करेगा जो संबंधित डीएलसीडब्ल्यू द्वारा जिला कार्य बल को प्रस्तुत करनी अपेक्षित होती है ।

8.8 डीसी/डीएम ब्लॉक स्तरीय क्रिया-कलापों की मॉनीटरिंग और मार्ग दर्शन के लिए ब्लॉक स्तरीय समिति के सदस्यों को नामित करेगा । डीसी/डीएम ब्लॉक स्तर पर पहल करने के लिए एक ब्लॉक स्तरीय अधिकारी को नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्त करेगा । ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारी डीसी/डीएम को रिपोर्ट करेंगे।

ब्लॉक स्तर :

8.9 ब्लॉक स्तरीय समिति में जिले के प्रतिनिधि होंगे (जैसा कि जिला उपायुक्त द्वारा नामित किया गया है) जिला/ब्लॉक के महाविद्यालयों से चार फेकल्टि, ब्लॉक से एक सरकारी प्रतिनिधि, सीएसओ/महिला स्व:सहायता समूहों के डीसी द्वारा नामित (वैकल्पिक) दो प्रतिनिधि ।

8.10. ब्लॉक स्तरीय समिति, चुनिंदा ब्लाकों के विभिन्न महाविद्यालयों से वालंटियर छात्रों का चयन करेगी। एनएसएस/एनसीसी कॉडर के छात्रों को भी शामिल किया जा सकता है।

8.11 ब्लॉक स्तरीय समिति, वालंटियर छात्रों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन करेगी।समिति के फैकल्टी सदस्यवालंटियर छात्रों की निगरानी और मार्गदर्शन भी करेंगे।

8.12 समिति में फैकल्टी के सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना /जानकारी के आधार पर परिणामी संकेतकों को एकत्र/व्यवस्थित(कोलेट) किया जाएगा तथा जिला स्तरीय कार्य बल को संप्रेषित किया जाएगा ।

8.13 ब्लॉक स्तरीय समिति, जिला स्तर/डीएलसीडब्ल्यू को अग्रेषित करने के लिए वालंटियर छात्रों से सूचना एकत्र/व्यवस्थित(कोलेट) करेगी ।

9. फीडबैक व्यवस्था

राष्ट्रीय स्तर पर फीडबैक और मॉनीटरिंग के लिए वेबसाईट/आईटी सुविधाएं(टूल्स) उपलब्ध कराए जाएंगे। पूछताछ , फीडबैक, और शिकायत दूर करने के लिए वेब आधारित(ऑन लाइन फीड बैक तंत्र विकसित किया जाएगा। सम्पन्न गतिविधियों/क्रिया-कलापों से संबंधित रिपोर्टों और चित्रों को अपलोड करने के लिए नामित अधिकारियों को आवश्यक अनुमति प्रदान की जाएगी ।

10.डिलिवरेबल्स/परिणामी संकेतक :

- सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में संबंधित राज्य सरकार /यूटी प्रशासन के तहत स्थापित महिला संसाधन केंद्र (एसआरसीडब्ल्यू)।

- 640 जिलों में स्थापित जिला स्तरीय महिला केंद्र (डीएलसीडब्ल्यू)।
- ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पिछड़े 115 जिलों (8 ब्लॉक प्रति जिला) में ब्लॉक स्तरीय सेवाओं की प्रदायगी ।

  परिणामी संकेतक:
- एमएसके के बारे में जागरूकता और पहुंच संबंधी गतिविधियों के माध्यम से चुनिंदा ब्लॉकों में शामिल की गई महिलाओं का प्रतिशत ।

- पहुंच प्राप्त महिलाओं में से सेवाओं की मांग करने वाली महिलाओं का प्रतिशत ।

- मांग करने वाली/सेवाओं की जरूरतमंद महिलाओं में से ऐसी महिलाओं का प्रतिशत जिन्हें सरकार की स्कीम /सेवाओं का लाभ प्रदान किया गया **।**

11. राज्य महिला संसाधन केंद्र (एसआरसीडब्लू)

राज्य महिला संसाधन केंद्र (एसआरसीडब्ल्यू) संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश प्रशासन के डब्ल्यूसीडी/समाज कल्याण विभाग के तहत कार्य करेगा। एमएसके स्कीम के तहत एसआरसीडब्ल्यू के लिए, पांच पदों अर्थात राज्य परियोजना समन्वयक -1; लिंग विशेषज्ञ -1; प्रशिक्षण और अनुसंधान अधिकारी -2 और सहायक -1 के लिए प्रावधान किया गया है। सरकार की सभी महिला संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए एसआरसीडब्ल्यू, संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश प्रशासन के डब्ल्यूसीडी / समाज कल्याण विभाग की सहायता करेगा ।

11.1 कार्य:

एसआरसीडब्ल्यू, अनुसंधान, लिंग संबंधी आंकड़ों का रखरखाव करके और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के आयोजन के द्वारा महिलाओं के अंतर-क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान देने के लिए के अधिदेशित है ताकि महिलाओं, विशेषतया अधिक संवेदनशील और सीमांत समुदायों की वंचित महिलाओं के मुद्दों पर व्याख्यान देते हुए अधिक समझ पैदा की जा सके। एसआरसीडब्ल्यू की भूमिका में शामिल हैं:

- राज्य स्तर पर महिला केंद्रित योजनाओं (जैसे ओएससी, डब्ल्यूएचएल, महिला पुलिस स्वयंसेवियों आदि) के कार्यान्वयन में सहायता के लिए तकनीकी निकाय के रूप में कार्य करना और अभिसरण पहलों के माध्यम से इस तरह के कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में सुधार के उपाय करना।
- जिला और ब्लॉक स्तरीय बीबीबीपी और एमएसके - के लिए तकनीकी और समन्वयन सहायता प्रदान करने के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के रूप में कार्य करना।

- महिलाओं को प्रभावित करने वाली मौजूदा नीतियों, कार्यक्रमों और वाले विधानों की नियमित तौर पर समीक्षा करना और मूल्यांकन करना और राज्य सरकार/यूटी प्रशासनों को समुचित सिफारिश भेजना।
- लैंगिक संवेदनशील प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण मॉड्यूल को विकसित करना और कार्यान्वित करना। इस कार्यनीति के लिए विभिन्न हितधारक (निर्वाचित प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, महिलाओं के सामूहिक सदस्य और व्यक्ति) के घटक, प्रशिक्षण आवश्यकताएं (संवेदीकरण, जागरूकता पैदा करना, तकनीकी कौशल, व्यवहार परिवर्तन), रूपरेखा (सीधे या एजेंसियों के माध्यम से) आदि आवश्यक हैं ।

11.2 गतिविधियां :

- राज्य के समाज कल्याण/महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुमोदन से राज्य/संघ शासित प्रदेशों के विशिष्ट मुद्दों पर आधारित कार्य योजना तैयार करना ;
- सरकारी कार्यक्रमों, योजनाओं और सेवाओं के अभिसरण में मौजूदा या संभावित समस्याओं की पहचान करना;
- स्कीमों के डिजाइन, प्रक्रिया और प्रदायगी/विधानों में कारकों की पहचान करने के लिए राज्यों में विभिन्न विभागों / एजेंसियों / मिशनों के साथ समन्वयन ।
- डीएलसीडब्ल्यू और एमएसके के कार्यान्वयन की (ब्लॉक स्तर पर) गतिविधियों को सुकर बनाना और मॉनीटर करना ।
- लिंग के परिप्रेक्ष्य में सरकारी स्कीमों की मॉनीटरिंग और समीक्षा के लिए मौजूदा संस्थाओं और संरचनाओं के साथ संपर्क करना ।
- पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई), सिविल सोसाइटी संगठनों (सीएसओ) और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी मॉडल का विकास करना जिससे महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलता है।
- राज्यों में स्वास्थ्य, शिक्षा, लघु वित्तीयन, आजीविका आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लिंग परिप्रेक्ष्य में , दस्तावेजी पहल और प्रसार कार्य से सर्वोत्तम क्रियाओं (सरकारी, सिविल सोसाइटी संगठनीय, पीआरआई) की पहचान करना ।
- राज्य में विभिन्न महिला केंद्रित स्कीमों और कार्यक्रमों (डीएलसीडब्ल्यू और एमएसके सहित) के कार्यान्वयन की स्थिति पर नियमित रिपोर्ट भेजें।
- महिलाओं के सशक्तिकरण के दायरे में सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी के राष्ट्रीय भंडार में योगदान करें।

11.3. रिपोर्टिंग तंत्र :

- एसआरसीडब्ल्यू के कामकाज की समीक्षा करने के लिए अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों के साथ , अध्यक्ष, महिला एवं बाल विकास / समाज कल्याण विभागों के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में , एक राज्य स्तरीय कार्य बल स्थापित किया जा सकता है। कार्य बल, एसआरसीडब्ल्यू के कामकाज की निगरानी, समन्वय, समीक्षा और पाठ्यक्रम सुधार कार्य में शामिल होगा।

- यूसी और एसओई के साथ एसआरसीडब्ल्यू की गतिविधियों से संबंधित प्रगति रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकार/यूटी प्रशासन द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजी जाएगी ।

11.4. निधियन:

- पूर्वोत्तर और विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों, जिनके लिए लागत साझेदारी अनुपात 90:10 होगा,के अलावाकेन्द्रीय सरकार और राज्यों के बीच लागत साझेदारी पैटर्न 60:40 है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा।
- एसआरसीडब्ल्यू की गतिविधियों के लिए वार्षिक बजट (केंद्रीय अंश) राज्य सरकार/यूटी प्रशासन को दो किस्तों में जारी किया जाएगा। बजट का विवरण तालिका-। में देखा जा सकता है।
- उन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए जिन्हें एसआरसीडब्ल्यू की स्थापना के लिए अभी व्यय (उपयोग) करना है स्थापना लागत हेतु निर्धारित एक बारगी गैर-पुनरावर्ती अनुदान (तालिका 2 के अनुसार) निर्धारित किया गया है ।
- इसके अलावा, गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य स्तर पर बीबीबीपी स्कीम के तहत तालिका 3 के अनुसार के बजटीय प्रावधान किए गए हैं।

तालिका -1	राज्य महिला संसाधन केंद्र के लिए बजट (वार्षिक)			
	पुनरावर्ती व्यय			
क	(वेतन* व्यय**)			
	पदनाम	पदों की संख्या	मासिक वेतन (रू.)	वार्षिक बजट (रू.)
	राज्य परियोजना समन्वयक	1	52,500	6,30,000
	लिंग विशेषज्ञ	1	36,750	4,41,000
	अनुसंधान अधिकारी	1	26,250	3,15,000

	प्रशिक्षण अनुसंधान अधिकारी	1	26,250	3,15,000
	सहायक	1	15,750	1,89,000
	उप-योग	5		18,90,000
ख	कार्यालयी व्यय **			10,00,000
	उप-योग			10,00,000
ग	**कार्यक्रम संबंधी गतिविधियां**			
	परामर्श/ सेमीनार/ कार्यशालाएं/ प्रशिक्षण/प्रकाशन/नवनीत परियोजना/एमआईएस)			8,00,000
	आईईसी गतिविधियां			2,00,000
	उप-योग			10,00,000
	कुल -योग			38,90,000

* यदि राज्य इन पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरते हैं, तो प्रतिनियुक्ति के लिए राज्य के नियम इस शर्त के अध्याधीन लागू होंगे कि केंद्र पर अतिरिक्त बजटीय निहितार्थ लागू नहीं होंगे।

** राज्य अधिक मानदेय प्रदान कर सकते हैं लेकिन भारत सरकार का अंश मौजूदा भागीदारी पैटर्न के अनुसार उपरोक्त राशि तक सीमित होगा।

***किराया / स्टेशनरी / संचार (यात्रा खर्च सहित) / कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार आउटसोर्स सचिवीय/सहायता स्टाफ की लागत आदि, वार्षिक रखरखाव व्यय (सुरक्षा सेवाएं, सफाई सेवाएं, बिजली और जल प्रभार आदि) की लागत को शामिल किया गया है। आवश्यकता के अनुरुप सचिवीय/सहायक कर्मचारियों की संविदात्मक आधार पर खुले बाजार/एजेंसी से भर्ती के लिए,वित्तीय प्रावधान किए गए हैं।

तालिका-2 एसआरडब्ल्यूसी के लिए एकमुश्त गैर आवर्ती अनुदान*

क्र. सं.	**गैर आवर्ती अनुदान (शीर्ष)**	**एकमुश्त**	**वार्षिक बजट (रुपयों में राशि)**
I	क) कार्यालयी फर्नीचर		100000
	ख) कंप्यूटर/प्रिंटर और यूपीएस	2 यूनिट	120000
	ग) फैक्स मशीन		10000
	घ) फोटोकॉपीयर		200000
	ड.) टेलीफोन		4000
	कुल		**4,34,000**

***यह एकमुश्त अनुदान उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए है जिन्होंने व्यय अभी वहन करना है जैसा कि गैर आवर्ती अनुदान के अंतर्गत वर्णित है।**

तालिका - 3: पीएमयू राज्य स्तर के लिए राज्य स्तरीय लागत (बीबीबीपी) -

क्र.सं.	**विषय**	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**बजटीय उच्चतम सीमा(राशि रुपयों में)**
सं. 1	**(I) अंतरक्षेत्रीय परामर्श बैठकें तथा राज्य कार्य बल की बैठकें:** संबंधित विभाग और सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ राज्य कार्यबल (मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाला) की त्रैमासिक बैठकें। (ii) **प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण - अनुकूलन एवं संवेदीकरण :** जैसे कि विधानसभा सदस्यों /संसद सदस्यों (एमपी/एमएलए)/न्यायपालिका/पुलिस के सदस्यों का अनुकूलन/कार्यशाला आईएमए-राज्य अध्याय-चिकित्सकीय पेशेवर/कारपोरेट सेक्टर/मीडिया/स्कूल कॉलेज टीचर/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अल्ट्रासाउण्ड उत्पादक	राज्य	1935000

	(iii)**नवीकरण एवं जागरूकता सृजन गतिविधियां :** जैसे कि बालिका दिवस (मासिक) मनाना बालिका दिवस पर किसी बेहतर तरीके को अपनाने के लिए जिले को बधाई देने हेतु वार्षिक समारोह।		
		संघ राज्य क्षेत्र	900000
2.	निगरानी, मूल्यांकनएवं दस्तावेजीकरण	राज्य	300000
		संघ राज्य क्षेत्र	200000
3.	लचीला वित्तपोषण (10%)	राज्य	223500
		संघ राज्य क्षेत्र	110000
	कुल	राज्य	**2458500**
		संघ राज्य क्षेत्र	**1210000**

12. महिलाओं के लिए जिला-स्तरीय केंद्र (डीएलसीडब्ल्यू) -

जिला स्तर में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए सरकारी कार्यक्रमों, स्कीमों तथा सेवाओं (जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, महिला पुलिस स्वयंसेवक, स्वाधार, उज्ज्वला आदि) से संबंधित सूचना एकत्रित करने और ग्राम/ब्लॉक और राज य स्तर के बीच लिंक के रूप में कार्य करनेके लिए महिलाओं के लिए जिला स्तरीय केंद्र (डीएलसीडब्ल्यू) की परिकल्पना की गई है। ये केंद्र जिलास्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए जिला स्तरीय केंद्र सरकार की महिला केंद्रित स्कीमों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकारों और महिला एवं बाल विकास मंत्रलय के बीच एक लिंक के रूप में भी कार्य करेगा।

12.1. महिलाओंके लिए जिला स्तरीय केंद्र - कवरेज :

डीएलसीडब्ल्यू की स्थापना वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-2020 तक के दौरान चरणबद्ध रूप से 640 जिलों में की जाएगी। प्रथम दो वर्षों में 220 नए जिलों जबकि तीसरे वर्ष में 200 नए जिलों को शामिल किया जाएगा।

12.2. डीएलसीडब्ल्यू –स्थान एवं जनशक्ति:

डीएलसीडब्ल्यू आदर्श रूप से उपायुक्त कार्यालय या जिला पंचायत में स्थित हो सकती है क्योंकि इससे महिलाओं के लिए पहुंच आसान होगी और विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने में आसानी होगी। डीएलसीडब्लयू का प्रचालन 3 व्यक्तियों (ठेका स्टाफ) एक यूनिट का अध्यक्ष (उदाहरणार्थ महिला कल्याण अधिकारी) तथा दो जिला समन्वयकों द्वारा की जाएगी। डीएलसीडब्ल्यू महिलाओं के लिए बनाई गई स्कीमों और कार्यक्रमों के कार्यानवयन को सुगम बनाने में जिला कलेक्टर /उपायुक्त के मार्गदर्शन तथा सीईओजिलापरिषद, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, अर्द्ध सरकारी निकाय, अन्य विभाग आदि के साथ मिलकर कार्य करेगा। यह संबंधित जिले में महिलाओं पर ध्यान देते हुए सरकार के आदेश को अनुवादित करने के लिए एसआरसीडब्ल्यू का सहायक होगा।

12.3 डीएलसीडब्ल्यू - भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व :

- सरकारी स्कीमों, कार्यक्रमों और सेवाओं से संबंधित बैंक /रीपोजिटरी संबंधित एवं अद्यतन सूचना का सृजन करेगा।(पात्रता मानदंड, दस्तावेजी आवश्कता, प्रक्रिया समय, लाभ, सेवा प्रदायगी को सुगम बनाना, ऐप्लीकेशन की ट्रैकिंग स्थिति आदि जैसी स्कीमों का ब्यौरा)

- डीएलसीडब्ल्यू, पीएमएमएस के स्कीम के कार्यान्वयन में ब्लॉक, गांव और राज्य स्तर के बीच एक लिंक के रूप में कार्य करेगा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को आधार प्रदान करेगा।
- डीएलसीडब्ल्यू ब्लॉक/ग्रामस्तर पर विद्यार्थी स्वयंसेवकों की गतिविधियों का समन्वय एवं निरीक्षण करेगा।
- विभिन्न सरकारी स्कीमों के लिए आवेदन करते समय महिलाओं द्वारा आ रही समस्याओं को चिन्हित करेगा , मामलों का दस्तावेजीकरण करेगा और इनको निपटाने के लिए उपायुक्त कार्यालय/पीआरआई सहित संबंधित फोरा को सूचना देगा।
- बैठक आयोजित करेगा जिनमें अंत विभागीय कन्वर्जेंस सहित विभिन्न स्तरों पर कन्वरजेंस प्रयासों को प्रभावित करने वाले मामलों का समाधान निकाला जा सकता हो। महिला के सशक्तिीकरण को प्रभावित करने वाले अन्य सामाजिक, आर्थिक कारकों को भी फोरम में लाया जा सकता है।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों/उद्देश्यों के आधार पर सेवा प्रदायगी को अधिनिगमित करते हुए जिला स्तरीय योजना तैयार करेगा, कार्यान्वयन और स्थानीय संदर्भ के लिए समय सीमा तैयार करेगा।
- स्कीमों/कार्यक्रमों की निगरानी करने, कार्यकारियों के प्रशिक्षण आदि के लिए उत्तरदायी होगा।
- महिलाओं पर ध्यान देते हुए जिले में कार्यान्वित की जा रही स्कीमों/कार्यक्रमों के डाटाबेस का सृजन एवं अनुसरण करेगा।
- एसआरसीडब्ल्यू को मासिक आधार पर गतिविधियों की प्रगति की सूचना देगा।
- राज्य सरकार/महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सौपे गए किसी अन्य कार्य को करेगा।

12.4. डीएलसीडब्ल्यू-मानव संसाधन चयन प्रक्रिया :

- उपायुक्त/डीएम की अध्यक्षता वाला जिला स्तरीय कार्य बल यूनिट के एक हेड (उदाहरणार्थ महिला कल्याण अधिकारी) और दो जिला समन्वयकों के लिए चयन समिति होगा।
- चयन समिति में महिला से संबंधित मामलों पर कार्य करने वाले सिविल सोसायटी संगठनों /गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ पोर्टल के साथ पंजीकृत, पोर्टल से लिंक http://ngodarpan.gov.in/)है।

क. महिला कल्याण अधिकारी के लिए अपेक्षित योग्यता/ दक्षताएं - डीएलसीडब्ल्यू

- कला और समाज विज्ञान के क्षेत्र में स्नातकोत्तर/महिलाओं पर केंद्रित कार्यान्वित की जा रही स्कीमों/कार्यक्रमों की समझ के साथ सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर।
- स्थानीय भाषा/लहजे में बात करने में सक्षम होना और जिला अधिकारियों के साथ प्रभावी रूप से वार्तालाप करने में सक्षम होना।
- सिविल सोसायटी संगठनों के साथ कार्य करने का पूर्व अनुभव होना।
- सूचना लेखन तथा एमआईएस के लिए कंप्यूटरों में दक्षता होना।
- अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होना।
- प्राथमिक रूप से एक ही जिले की महिला एवं निवासी होना।

ख. जिला समन्वयक के लिए अपेक्षित योग्यता/दक्षता :

- कला और समाज विज्ञान/सामाजिक कार्य या किसी अन्य क्षेत्र में स्नातक होना।
- जिले में महिलाओं से संबंधित मामलों में पूर्ण रूप से दक्ष होना।
- कंप्यूटरों में कार्य करने की क्षमता होना।
- अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष।
- प्राथमिक रूप से एक ही जिले की महिला एवं निवासी होना।

12.5. डीएलसीडब्ल्यू - सूचना एवं निगरानी तंत्र

जिले में सभी पणधारियों से प्रतिनिधित्व के साथ जिला कलेक्टर की अध्यक्षता के अंतर्गत स्थापित कार्य बल डीएलसीडब्ल्यू की कार्यप्रणाली के निरीक्षण, निगरानी, समन्वय, समीक्षा तथा मार्ग शुद्धीकरण के लिए उत्तरदायी होगा। जिला स्तरीय कार्य बल राज्य तथा राष्ट्र स्तरीय कार्य बल/महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सूचना देगा।
डीएलसीडब्ल्यू के स्टाफ द्वारा हाजिरी और रिपोर्टिंग उपायुक्त/डीएम कार्यालय में या उपायुक्त/डीएम के आदेशानुसार की जाएगी। डीएलसीडब्ल्यू के स्टाफ द्वारा किए गए कार्यों की मासिक रिपोर्ट उपायुक्त/एसआरसीडब्ल्यू/महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चिन्हित ढ़ांचे में डीसी/एचआरसीडब्ल्यू/महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

12.6. निधियन पैटर्न:

डीएलसीडब्ल्यू के लिए वार्षिक बजट (केंद्र का हिस्सा) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रप्रशासन को दो किश्तों में जारी किया जाएगा। (महिला एवं बाल विकास विभाग/समाज कल्याण विभाग) से राज्य में कार्यान्वित डीएलसीडब्ल्यू के लिए यूसी और एसओई प्रस्तुत करने की अपेखा की जाएगी। डएलसीडब्ल्यू के लिए वार्षिक बजट तालिका 4 में देखा जा सकता है।

डलएलसीडब्ल्यू का कार्यान्वयन पूर्वोत्तर तथा विशेष श्रेणी राज्यों, जहां लागत हिस्सेदारी अनुपात 90:10 है, के सिवाय केंद्र सरकार और राज्यों के बीच 60:40 के लागत हिस्सेदारी स्वरूप के साथ कार्यान्वित किया जाएगा।संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100 प्रतिशत निधियन किया जाएगा।

तालिका 4: महिलाओं के लिए जिला स्तरीय केंद्र (डीएलसीडब्ल्यू) के लिए वार्षिक बजट अनुमान

महिलाओं के लिए जिला स्तरीय केंद्र के लिए लागत			**रुपये में**
शीर्ष	**पद की सं.**	**प्रति माह**	**वार्षिक बजट**
महिला कल्याण अधिकारी	1	35,000	4,20,000
जिला समन्वयक	2	20,000	4,80,000
गैर आवर्ती व्यय			
स्थापना शुल्क		1,00,000	1,00,000
आवर्ती व्यय			
कार्यालयी व्यय		50,000	50,000
स्थानीय यात्रा व्यय		10,000	1,20,000
संचार व्यय		5,000	60,000
जिला स्तरीय केंद्र के अनुसार कुल वार्षिक लागत			**Rs 12,30,000**

13. महिला शक्ति केंद्र (एमएसके) - ब्लॉक स्तर

महिला शक्ति केंद्र - ब्लॉक स्तर के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु छात्र स्वयंसेवकों की भागीदारी से सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जाएगा । इससे ऐसा वातावरण बनाने में मदद मिलेगी, जिसमें महिलाएं अपनी पूरी क्षमता को हासिल कर सकेंगी । इस स्कीम से विद्यार्थियों में स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा करने और महिला-पुरुष समानता को प्रोत्साहन मिलेगा । ये विद्यार्थी 'परिवर्तन अभिकर्ता' के रूप में कार्य करेंगे और इनका अपने समुदायों और राष्ट्र पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा । इससे ग्रामीण महिलाओं के लिए उपलब्ध स्कीमों और सुविधाओं के संबंध में सूचना और जानकारी के अभाव को कम किया जा सकेगा ।

13.1. महिला शक्ति केंद्र - ब्लॉक स्तर पर कवरेज

पीएमएमएसके ब्लॉक स्तर पर पहल के एक भाग के रूप में छात्र स्वयंसेवकों के माध्यम से 115 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में सामुदायिक सहभागिता परिकल्पित है । विभिन्न महत्वपूर्ण सरकारी स्कीमों/कार्यक्रमों तथा सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरुकता पैदा करने में छात्र स्वयंसेवक सहायक सिद्ध होंगे । ये छात्र ग्रामीण महिलाओं के लिए चलाई जा रही सरकारी स्कीमों/कार्यक्रमों, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के बारे में जागरुकता पैदा करेंगे । ब्लॉक स्तर पर केंद्रों का संचालन ब्लॉक स्तरीय समितियों द्वारा किया जाएगा । इस प्रकार की ब्लॉक स्तरीय समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

- जिले के सरकारी प्रतिनिधि (उपायुक्त द्वारा नामित);
- जिले/ब्लॉक में चलाए जा रहे कॉलेजों के चार संकाय सदस्य;
- ब्लॉक में एक सरकारी प्रतिनिधि; और
- सीएसओ/महिला स्वयं सहायता समूह से उपायुक्त द्वारा नामित (वैकल्पिक) 2 प्रतिनिधि ।

प्रथम वर्ष (2017-18) में, नीति आयोग द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट 115 पिछड़े जिलों में से 50 पिछड़े जिलों में ब्लॉक स्तर पर 400 ब्लॉकों में समितियों का गठन किया जाएगा (प्रति जिला अधिकतम 8 ब्लॉक) । दूसरे वर्ष (2018-19) में, पिछले वर्ष के 50 जिलों के साथ-साथ शेष 65 जिलों में कार्य शुरू किया जाएगा । तीसरे वर्ष, 920 ब्लॉकों को शामिल करते हुए सभी 115 पिछड़े जिलों में (8 ब्लॉक प्रति जिला) 6 महीनों के लिए कार्य शुरू किया जाएगा । दूसरे वर्ष के अंत में, स्कीम का विस्तार करने/उसे जारी रखने के बारे में निर्णय लेने के लिए स्कीम का मूल्यांकन किया जाएगा ।

वर्ष	2017-18 (छह माह)	2018-19	2019-20	कुल 2017-20
ब्लॉक	400 (50 जिले * 8 ब्लॉक)	920 (पूर्ववर्ती वर्ष के 400 ब्लॉक+65 जिलों के नए 520 ब्लॉक)	920 (पूर्ववर्ती वर्ष के सभी)	920
जिले	50	115 (50 पूर्ववर्ती वर्ष +65 नए)	115 जिले (विगत वर्ष से)	115

यदि एक जिले में ब्लॉकों की संख्या कम है तो अन्य जिले के अधिक ब्लॉक सम्मिलित किये जा सकते हैं। प्रमुखत: चयनित जिले के सभी ब्लॉकों को सम्मिलित किया जाना है। तथापि, औसतन ब्लॉकों की संख्या प्रति जिला 08 (आठ) ब्लॉक से अधिक नहीं हो।

एक ब्लॉक से अधिक के लिए संकाय नहीं होगा। तथापि, कॉलेजों की कमी अथवा कुछ ब्लॉकों में उपयुक्त संकाय होने के मामलों में डीसी/डीएम एक ब्लॉक से अधिक के लिए उस संकाय को नामित कर सकते हैं। ऐसे मामलों में संकाय को केवल एक ब्लॉक स्तरीय समिति से ही मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

13.2 महिला शक्ति केंद्र (एमएसके) – ब्लॉक स्तरीय कार्य

ब्लॉक स्तर पर सम्मिलित किये जाने वाले कुछ विशेष कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

- ग्राम स्तर पर मौजूदा समूह को सुदृढ करने के लिए समूह से जुडने के लिए महिलाओं को एकत्र करना/जुटाना।
- ग्राम सभा और पंचायती राज संस्थाओं में प्रभावी सहभागिता के लिए सामुदायिक सदस्यों को सूचनात्मक और अन्य संसाधन की सहज उपलब्धता प्रदान करना ।
- पंचायती राज संस्थाओं और आंगनवाडी केंद्रों जैसी ग्राम स्तरीय संस्थाओं की कार्य - प्रणाली में महिलाओं की सहभागिता बढाना।
- ग्राम सभा बैठकों में भाग लेने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करना।
- सरकारी स्कीमों, कार्यक्रमों और सेवाओं (उपरोक्त उल्लिखित के अनुसार) के बारे में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं में जागरूकता का प्रसार करने के लिए अभिसरण कार्य सुगम बनाना और ग्रामीण महिलाओं को उनके विकास की विभिन्न कार्यक्रमों से जुडने के लिए प्रेरित करना तथा उपलब्धता में सुधार लाने में सहायता करना।
- सरकारी कार्यक्रमों में नामांकन करने के लिए पहचान साबित करने हेतु सम्पत्ति /सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, आधार (यूआईडी), एमएनआरईजीएस नामांकन आदि जैसे मौजूदा सरकारी प्रक्रमों के जरिये दस्तावेजों को तैयार करने में महिलाओं की सहायता करना।
- "बेटी बचाओ, बेटी पढाओ" (बीबीबीपी) स्कीम के क्रियान्वयन में डीएलसीडब्ल्यू को सहायता प्रदान करना।
- पंचायतों, वन स्टॉप सेंटर, वीएचएसएनसी/ वीएचएनडी जैसे सही मंचों के प्रयत्न और अनुवर्तन के माध्यम से शिकायत निवारण सुकर बनाना।

- अन्य सिविल सोसायटी संगठनों (सीएसओ)/गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और उसी क्षेत्र में कार्यरत उनके स्टाफ से सहयोग के लिए लीवरेज अवसरों हेतु समन्वय करना।
- विभिन्न कार्यकरों के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों / अन्य महिला समूहों के बीच जमीनी स्तर पर तालमेल करने के लिए प्रेरित करना
- राज्य में जैंडर परिप्रेक्ष्य, प्रलेख पहल और प्रसार की दृष्टि से स्वास्थ्य, शिक्षा, सूक्षम वित्त, आजीविका आदि जैसे विभिन्न सेक्टरों में श्रेष्ठ व्यवहार (सरकार, सिविल सोसायटी संगठनों (सीएसओ), पंचायती राज संस्थाओं की पहचान करना।

13.3 **महिला शक्ति केंद्र (एमएसके)-ब्लॉक स्तरीय केंद्र स्थान :**

ब्लॉक समिति द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने वाला ब्लॉक बुनियादी तौर पर सरकारी विभागों / पंचायती राज संस्थाओं के कार्यालयों के परिसर में स्थित होना चाहिए। ग्राम स्तर पर आंगनवाडी केंद्र महिला शक्ति केंद्र (एमएसके) या छात्र वालिंटियर्स के लिए संपर्क स्थान उपयुक्त होगा। जीपी / गांव स्तर पर उपलब्ध किसी भी अन्य बेहतर स्थान का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है।

13.4 **महिला शक्ति केंद्र (एमएसके)- ब्लॉक स्तर - मानव संसाधन**:

ब्लॉक स्तर पर छात्र वालिंटियर्स को गतिविधियां चलाने के लिए कार्य पर लगाया जाएगा। एनएसएस / एनसीसी कैडर के छात्रों को भी जोड़ा जा सकता है। प्रत्येक छात्र वालिंटियर 200 घंटे की सामुदायिक सेवा प्रदान करेगा जो कि छह महीने के भीतर होनी चाहिए। सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में इन छात्र वालिंटियर्स को अभिमुखीकरण प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। महिलाओं की स्थानीय जरूरतों और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग के लिए ब्लॉक स्तरीय समिति (बीएलसी) किसी संस्थान/ स्वैच्छिक संगठन का चयन उक्त अभिमुखीकरण प्रशिक्षण के लिए कर सकती है। छात्र वालिंटियर्स के प्रत्येक बैच के लिए कम से कम तीन दिवसीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। छात्र वालिंटियर्स के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण , महिला शक्ति केंद्र (एमएसके)- ब्लॉक स्तर के तहत उन्हें यथोल्लिखित गतिविधियों को पूरा करने के लिए तैयार किया जाएगा।

तीन वर्षों (2017-2020) में प्रत्येक जिले के औसतन आठ ब्लॉकों और हर छह माह में प्रति ब्लॉक 100 छात्र प्रति छह महीने की अवधि के अनुसार लगभग 3,16,000 छात्र वालिंटियर्स को काम पर लगाया जाएगा और प्रत्येक छात्र वालिंटियर को 200 घंटे के कार्यकलाप पूरा करने के बाद एक सामुदायिक सेवा प्रमाण पत्र दिया जाएगा । इस तरह के प्रमाणपत्र पर डीसी / डीएम या जिला/ राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किये गये किसी प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जा सकते हैं।

13.5 **महिला शक्ति केंद्र (एमएसके)- ब्लॉक स्तरीय मानव संसाधन चयन प्रक्रिया**:

ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा ब्लॉक के कॉलेजों से छात्र वालिंटियर्स का चयन किया जाएगा। एनएसएस / एनसीसी कैडर छात्रों को भी जोड़ा जा सकता है। अधिमानतः महिला छात्रों का चयन किया जाएगा। यदि पर्याप्त वांछनीय छात्र ब्लॉक के कॉलेजों में उपलब्ध नहीं हैं तो ब्लॉक स्तरीय समिति जिला स्तर के कॉलेजों से छात्र चुन सकते हैं। योग्य मामलों में ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा 11 वीं और 12 वीं कक्षा की छात्राओं को भी चुना जा सकता है।

13.6 **महिला शक्ति केंद्र (एमएसके) - ब्लॉक स्तर प्रतिक्रिया (फीडबैक) कार्यविधि**:

राष्ट्रीय स्तर पर मॉनीटरिंग और प्रतिक्रिया (फीडबैक) के लिए वेबसाइट / आईटी टूल उपलब्ध कराये जाएंगे। किसी प्रश्न/पूछताछ, प्रतिक्रिया (फीडबैक) और शिकायत निवारण के लिए वेब आधारित / ऑनलाइन प्रतिक्रिया (फीडबैक) तंत्र विकसित किया जाएगा। छात्र वालिंटियर्स द्वारा गतिविधि चार्ट (वेब आधारित) तैयार करना आवश्यकता होगा जिनको ब्लॉक और जिला स्तर पर समेकित करके अंत में राज्य स्तर पर समेकित किये जाएंगे। की गई गतिविधियों से संबंधित रिपोर्ट और तस्वीरें अपलोड करने के लिए निर्दिष्ट अधिकारियों को आवश्यक अनुमति दी जाएगी। राष्ट्रीय पोर्टल पर प्रमाण पत्रों को सत्यापन के लिए प्रदर्शित किया जाएगा और भाग लेने वाले छात्रों के लिए संसाधन / संपत्ति के रूप में भी जीवन भर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

13.7 **महिला शक्ति केंद्र (एमएसके) - ब्लॉक स्तर – निधियन पैटर्न** :

महिला शक्ति केंद्र (एमएसके) ब्लॉक स्तर के लिए वार्षिक बजट (केंद्रीय अंश) राज्य सरकार / संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन को दो किस्तों में जारी किया जाएगा। संबंधित राज्य सरकार / संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन (महिला एवं बाल विकास विभाग/ सोशल कल्याण विभाग) से अपेक्षा की जाती है कि राज्य में चयनित ब्लॉक स्तरीय केंद्र / केन्द्रों लिए यूसी और एसओई प्रस्तुत करे ।

महिला शक्ति केंद्र (एमएसके) के लिए कुल वार्षिक बजट – ब्लॉक स्तर पर तालिका 5 में देखा जा सकता है ।

तालिका 5 : प्रति महिला शक्ति केंद्र (एमएसके) कुल वार्षिक बजट – ब्लॉक/तहसील स्तर			
मानदेय	**पद की संख्या**	**प्रति माह (रूपये)**	**वार्षिक लागत (रूपये में)**
ब्लॉक स्तरीय समिति में संकाय प्रतिनिधि	4	3000	144000
ब्लॉक स्तरीय समिति में सरकारी प्रतिनिधि	1	2000	24000

(डीसी द्वारा नामित)			
छात्र वालिंटियर्स	200	समुदाय सेवा के लिए रू.50 प्रति घंटे की दर से वृतिका	2000000
गैर-आवर्ती व्यय			
स्थापना प्रभार (कम्प्यूटर साफ़्टवेयर, प्रिंटर, लेपटॉप, केमरा आदि सहित)		एक्मुश्त	300000
आवर्ती व्यय		एक्मुश्त	200000
कार्यालय व्यय (किराया /सेवाएं /सॉफ्ट्वेयर आदि)		एक्मुश्त	300000
कार्यकलाप/ कार्यक्रम लागत- बैठक, कार्यशाला, प्रशिक्षण, परामर्श, संसाधन व्यक्तियों को जुटाना आदि			400000
आईसी सामग्री			168000
फ्लेक्सी निधि (जिला स्तरीय कार्य बल द्वारा निर्णय लिया जाना है)			3536000
कुल			
200 घंटे= 25 दिन (प्रति दिन 8 घंटे)। रू 50 प्रति घंटे की दर से रू 400 प्रति दिन अर्थात रू 300 प्रति दिन + रू 100 यात्रा लागत के रूप में			

अनुलग्नक

फार्म जी एफ आर 19-ए

[नियम 212(1)को देखें]

उपयोग प्रमाण-पत्र का फार्म

क्रमांक	पत्र सं. और तारीख	रकम
	कुल	

प्रमाणित किया जाता है कि मार्जिन में दिये इस मंत्रालय/ विभाग के पत्र सं, के तहत..... के पक्ष में ..... वर्ष के दौरान रू. ..... स्वीकृत अनुदान-सहायता और पूर्व वर्ष के अव्ययित शेष रू..... .के रू..... में से .... रूपये की धनराशि रू ..... उस प्रयोजन के लिए उपयोग की गई जिसके लिए वह स्वीकृत की गई थी और यह कि वर्ष के अंत में अनप्रयुक्त रू ..... की शेष राशि को सरकार को (पत्र सं..... दिनांक ..... के द्वारा) अभ्यर्पित कर दी गई है / अगले वर्ष .... के दौरान देय अनुदान सहायता में समायोजित कर दी जाएगी।

2. प्रमाणित किया जाता है कि मैं स्वयं इस बात से संतुष्ट हूं कि जिन शर्तों पर अनुदान-सहायता स्वीकृत की गई थी, वह विधिवत पूरी कर ली गई हैं/पूरी की जा रही हैं और यह कि मैंने यह देखने के लिए जांच कर ली है कि जिस प्रयोजन के लिए यह स्वीकृत की थी वह धनराशि वास्तविक रूप से उपयोग की गई थी।

की गई जांच का स्वरूप

1.
2.
3.
4.
5.

हस्ताक्षर .....

पदनाम .....

दिनांक :

अनुलग्नक- II

फार्मेट : एसआरसीडब्ल्यू का व्यय विवरण - वित्तीय वर्ष 2017-18,2018-19/2019-20 (केवल एक चुनें)						
	आवर्ती व्यय					
क.	वेतन* व्यय **					
	पद का नाम	पद की सं.	वेतन प्रति वर्ष	वार्षिक बजट	उपचित व्यय	अभ्युक्ति (दिनांक से दिनांक)
	राज्य परियोजना समन्वयक	1	52000	6,30,000		
	विशेषज्ञ जैंडर	1	36750	4,41,000		
	विशेषज्ञ प्रशिक्षण	1	26250	3,15,000		
	अनुसंधान अधिकारी	1	26250	3,15,000		
	सहायक (प्रशिक्षण एवं प्रलेखन)	1	15750	1,89,000		
	उप-योग	5		**18,90,000**		
ख	कार्यालय व्यय ***			10,00,000		
	उप-योग			**10,00,000**		
ग	कार्यक्रम कार्यकलाप					
	परामर्श/ संगोष्ठियां /कार्यशाला/प्रशिक्षण/प्रकाशन/नवोन्मेषी परियोजनाएं /एमआईएस			8,00,000		
	आई ई सी कार्यकलाप			2,00,000		
	उप-योग			10,00,000		
	महा-योग			38,90,000		

- यदि राज्य इन पदों को प्रतिनियुक्ति पर भरता है तो राज्य के प्रतिनियुक्ति के नियम लागू होंगे बशर्ते कि केंद्र पर कोई अतिरिक्त बजटीय निहितार्थ न हों।
- ** राज्य अधिक मानदेय प्रदान करा सकते हैं किंतु भारत सरकार का अंश मौजूदा साझा अनुपात के पैटर्न के अनुसार उपरोक्त राशितक ही सीमित रहेगी।
- *** इसमें किराया/लेखन सामग्री/संचार (यात्रा व्यय सहित) /सचिवालय/कार्यात्मक अपेक्षाओं आदि के अनुसार आउटसोर्स किया सहायक स्टाफ/वार्षिक अनुरक्षण व्यय (सुरक्षा सेवाएं, सफाई सेवाएं), बिजली और जल प्रभार आदि सम्मिलित हैं । आवश्यकता के अनुसार खुले बाजार/एजेंसी से संविदात्मक आधार पर सचिवालय सहायक स्टाफ किराये पर लेने के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया है।

तालिका -2 एसआरसीडब्ल्यू के लिए एकबारगी गैर-आवर्ती अनुदान			
क्रम सं.	**गैर-आवर्ती अनुदान (शीर्ष)**	**एकबारगी**	**वार्षिक बजट (रकम रूपये में)**
1	क. कार्यालय व्यय		1,00,000
	ख. कम्प्यूटर/प्रिंटर एवं यूपीएस		1,20,000
	ग. फेक्स मशीन		10,000
	घ. फोटोकॉपीयर		2,00,000
	ड. टेलीफोन		4,000
	कुल		4,34,000
• इस एकबारगी अनुदान से तात्पर्य उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से है जिन्होंने गैर-आवर्ती अनुदान के तहत यथोल्लिखित व्यय अभी भी उपचित नहीं किया है।			

फार्मेट : राज्य स्तरीय पीएमयू (बीबीबीपी) के लिए राज्य स्तरीय व्यय विवरण – वित्तीय वर्ष 2017-18,2018-19/2019-20 (केवल एक चुनें)					
क्रम सं.	मद	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	बजटीय अधिकतम सीमा (रकम रूपये में)	उपचित व्यय	अभ्युक्ति (दिनांक से दिनांक)
सं. 1	(1) **राज्य टास्क फोर्स की बैठक की अंतर सेक्टरल परामर्श/बैठक :**जैसे राज्य कार्य बल की : संबंधित विभागों/ सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ (मुख्य सचिव की अध्यक्षता में) तिमाही बैठक (2) **प्रशिक्षण एवं क्षमता विकासोन्मुख और संवेदीकरण :जैसे** विधान सभा सदस्य / संसद सदस्य (एमएलए /एमपी/ न्यायिक /पुलिस/आईएमए–राज्य चैप्टर/ मेडीकल प्रोफेशनल/कार्पोरेट / मीडिया/स्कूल-कॉलेज टीचर/राज्य लीगल सर्विस अथोरिटी / अल्ट्रासाउंड निर्माता) (3) **नवोन्मेष और जागरूकता सृजन कार्यकलाप**: जैसे बालिका दिवस (मासिक) : बालिका दिवस पर कोई श्रेष्ठ व्यवहार अपनाने के लिए जिले के सम्मान हेतु वार्षिक कार्यक्रम :	राज्य	19,35,000		
		केंद्र शासित प्रदेश	9,00,000		
2		राज्य	3,00,000		

	मॉनीटरिंग, मूल्यांकन और प्रलेखीकरण	केंद्र शासित प्रदेश	2,00,000		
3	राज्य टास्क फोर्स द्वारा यथा निर्धारित फ्लेक्सी फंड (10%)	राज्य	2,23,500		
		केंद्र शासित प्रदेश	1,10,000		
4	कुल	राज्य	24,58,500		
		केंद्र शासित प्रदेश	12,10,000		

फार्मेट डीएलसीडब्ल्यू का व्यय विवरण - वित्तीय वर्ष 2017-18,2018-19/2019-20 (केवल एक चुनें)					
महिला जिला स्तरीय केंद्र - वार्षिक बजट					
शीर्ष	पद की सं.	वेतन प्रति माह	वार्षिक बजट	उपचित व्यय	अभ्युक्ति (दिनांक से दिनांक)
महिला कल्याण अधिकारी	1	35,000	4,20,000		
जिला समन्वयक	2	20,000	4,80,000		
गैर आवर्ती व्यय					
स्थापना प्रभार		1,00,000	1,00,000		
आवर्ती व्यय					
कार्यालय व्यय		50,000	50,000		
स्थानीय यात्रा व्यय		10,000	1,20,000		
संचार व्यय		5,000	60,000		
प्रति जिला सतरीय केंद्र कुल लागत			12,30,000		

फार्मेट महिला शक्ति केंद्र के लिए व्यय विवरण – ब्लॉक स्तरीय वित्तीय वर्ष 2017-18,2018-19/2019-20 (केवल एक चुनें)					
प्रति पीएमएमएसके वार्षिक बजट – ब्लॉक /तहसील स्तरीय					
मानदेय	**पद की सं.**	**प्रति माह (रूपये)**	**वार्षिक लागत**	**उपचित व्यय**	**अभ्युक्ति (दिनांक से दिनांक)**
ब्लॉक स्तरीय समिति में संकाय प्रतिनिधि	4	3000	144000		
ब्लॉक स्तरीय सरकारी प्रतिनिधि (डीसी द्वारा नामित)	1	2000	24000		
छात्र वालिंटियर्स	200	समाज सेवा* के लिए 50 रूपये प्रति घंटे की दर से वृत्तिका	20,00,000		
गैर-आवर्ती व्यय					
स्थापना प्रभार (कम्प्यूटर/प्रिंटर, लेपटॉप ,केमरा आदि सहित)		एकमुश्त	3,00,000		
आवर्ती व्यय					
कार्यालय व्यय (किराया सेवा/सॉफ्टवेयर सहित)		एकमुश्त	2,00,000		
कार्यकलाप /कार्यक्रम लागत :संसाधन व्यक्तियों को जुटाना परामर्श/ बैठक /कार्यशाला/प्रशिक्षण/प्रकाशन/		एकमुश्त	2,00,000		
आई ई सी सामग्री			4,00,000		
फ्लेक्सी –निधि (जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स			1,68,000		

द्वारा निर्णय लिया जाना)					
कुल			35,36,000		
200 घंटे= 25 दिन (प्रति दिन 8 घंटे)। रू 50 प्रति की दर से रू 400 प्रति दिन अर्थात रू 300 प्रति दिन + रू 100 यात्रा लागत के रूप में					

अनुलग्नक III

पिछड़े जिलों की सूची

115 पिछड़े जिलों की सूची						
क्र.सं. .	राज्य	जिले	गरीबी रैंक	स्वास्थ्य रैंक	शिक्षा रैंक	बुनियादी रैंक
1	बिहार	खगरिया	1	49	30	7
2	बिहार	बेगूसराय	2	58	47	19
3	बिहार	कटिहार	3	24	31	21
4	महाराष्ट्र	नंदुरबार	4	23	92	79
5	पश्चिम बंगाल	बीरभूम	5	75	75	96
6	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	6	74	67	25
7	बिहार	पूर्णिया	7	28	11	27
8	मध्य प्रदेश	दमोह	8	60	59	86
9	बिहार	अररिया	9	20	34	14
10	असम	धुबरी	10	19	2	60
11	बिहार	सीतामढ़ी	11	5	7	44
12	पश्चिम बंगाल	मालदा	12	56	90	43
13	पश्चिम बंगाल	नादिया	13	112	101	50
14	गुजरात	नर्मदा	14	57	88	115
15	महाराष्ट्र	जलगांव	15	91	95	100
16	तमिलनाडु	विरुधुनगर	16	100	114	105
17	ओड़िशा	कालाहांडी	17	79	71	32
18	ओड़िशा	ढेंकनाल	18	103	108	75
19	बिहार	शेखपुरा	19	33	36	5
20	ओड़िशा	कंधमाल	20	94	87	22
21	ओड़िशा	रायगढ़	21	82	58	52
22	मध्य प्रदेश	विदिशा	22	63	66	88
23	बिहार	मुजफ्फरपुर-एलडब्ल्यूई	23	41	19	31
24	बिहार	नवादा-वामपंथी उग्रवाद	24	36	43	26
25	बिहार	औरंगाबाद-वामपंथी उग्रवाद	25	37	37	42
26	छत्तीसगढ़	महासमुंद	26	76	102	114
27	मध्य प्रदेश	खंडवा	27	86	46	102
28	मध्य प्रदेश	राजगढ़	28	62	65	80
29	ओड़िशा	कोरापुट-वामपंथी उग्रवाद	29	64	51	12
30	छत्तीसगढ़	कोरबा	30	77	96	103
31	झारखंड	साहिबगंज	31	11	4	91
32	बिहार	गया-वामपंथी उग्रवाद	32	14	21	17
33	बिहार	बांका-वामपंथी उग्रवाद	33	32	29	18
34	उत्तर प्रदेश	चंदौली	34	73	70	58
35	मध्य प्रदेश	बड़वानी	35	8	35	89
36	ओड़िशा	बलांगीर	36	93	93	41
37	पश्चिम बंगाल	दक्षिण दिनाजपुर	37	99	78	62
38	तमिलनाडु	रमनाथपुरम	38	111	111	104
39	असम	गोलपाड़ा	39	70	24	76
40	असम	बारपेटा	40	54	15	29
41	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	41	26	20	53
42	आंध्र प्रदेश	विजयनगरम	42	104	100	39

43	मध्य प्रदेश	गुना	43	55	10	63
44	ओड़िशा	गजपति	44	87	81	59
45	तेलंगाना	खम्मम-वामपंथी उग्रवाद	45	113	110	69
46	बिहार	जमुई-वामपंथी उग्रवाद	46	21	27	23
47	महाराष्ट्र	गडचिरोली-वामपंथी उग्रवाद	47	90	104	33
48	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम-वामपंथी उग्रवाद	48	108	77	28
49	राजस्थान	धौलपुर	49	67	74	107
50	राजस्थान	करौली	50	78	82	55
51	झारखंड	पाकुर	51	10	14	70
52	पंजाब	फिरोजपुर	52	98	98	46
53	उत्तराखंड	हरिद्वार	53	80	56	99
54	महाराष्ट्र	नांदेड़	54	97	80	93
55	गुजरात	मोरबी	55	68	83	113
56	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र	56	39	39	64
57	मध्य प्रदेश	छतरपुर	57	72	32	66
58	राजस्थान	जैसलमेर	58	42	57	82
59	तेलंगाना	वारंगल	59	115	105	40
60	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर	60	43	50	81
61	असम	दरांग	61	65	9	47
62	हरियाणा	मेवात	62	9	1	92
63	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट	63	18	28	36
64	झारखंड	गोड्डा	64	13	18	38
65	त्रिपुरा	धलाई	65	83	103	51
66	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम-एलडब्ल्यूई	66	1	38	72
67	असम	बक्सा	67	102	44	13
68	पंजाब	मोगा	68	105	107	73
69	असम	उदलगुड़ी	69	84	49	8
70	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	70	85	97	112
71	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव-वामपंथी उग्रवाद	71	96	106	109
72	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	72	3	17	65
73	राजस्थान	सिरोही	73	46	84	30
74	तेलंगाना	आदिलाबाद	74	92	94	85
75	केरल	वायनाड	75	114	112	111
76	मेघालय	रिभोई	76	51	68	98
77	असम	हैलाकांडी	77	61	3	74
78	झारखंड	पूर्वी सिंहभूम-एलडब्ल्यूई	78	40	79	87
79	झारखंड	चतरा-वामपंथी उग्रवाद	79	7	25	34
80	झारखंड	पलामू-वामपंथी उग्रवाद	80	27	33	45
81	छत्तीसगढ़	बस्तर-वामपंथी उग्रवाद	81	44	12	84
82	छत्तीसगढ़	सुकमा-वामपंथी उग्रवाद	82	45	13	6
83	उत्तर प्रदेश	बहराइच	83	2	6	57
84	आंध्र प्रदेश	वाई.एस.आर. कडपा	84	109	76	78
85	छत्तीसगढ़	कांकेर-वामपंथी उग्रवाद	85	88	109	67
86	कर्नाटक	गदग	86	89	91	24
87	कर्नाटक	कालाबुर्गी	87	66	63	4
88	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती	88	12	8	1
89	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थनगर	89	16	5	97
90	झारखंड	बोकारो-वामपंथी	90	34	73	56

		उग्रवाद				
91	झारखंड	गढ़वा-वामपंथी उग्रवाद	91	15	26	48
92	ओड़िशा	मलकानगिरी-वामपंथी उग्रवाद	92	59	55	16
93	झारखंड	दमका-वामपंथी उग्रवाद	93	4	48	101
94	झारखंड	रामगढ़-वामपंथी उग्रवाद	94	53	41	95
95	झारखंड	गिरिडीह-वामपंथी उग्रवाद	95	38	42	35
96	राजस्थान	बाड़मेर	96	48	61	2
97	झारखंड	हजारीबाग-वामपंथी उग्रवाद	97	50	60	77
98	जम्मू व काश्मीर	बारामुला	98	107	62	9
99	झारखंड	लातेहार-वामपंथी उग्रवाद	99	17	22	71
100	सिक्किम	पूर्व सिक्कि ई म	100	110	115	110
101	झारखंड	रांची-वामपंथी उग्रवाद	101	71	64	68
102	अरूणाचल प्रदेश	नमसाई	102	69	86	106
103	छत्तीसगढ़	दन्तेवाड़ा-वामपंथी उग्रवाद	103	35	54	49
104	झारखंड	लोहरदगा-वामपंथी उग्रवाद	104	47	45	37
105	जम्मू व काश्मीर	कुपवाड़ा	105	106	99	11
106	झारखंड	सिमडेगा-वामपंथी उग्रवाद	106	6	69	20
107	झारखंड	खूंटी-वामपंथी उग्रवाद	107	25	53	61
108	छत्तीसगढ़	कोडगांव	108	30	85	54
109	छत्तीसगढ़	नारायणपुर-वामपंथी उग्रवाद	109	31	16	10
110	झारखंड	गुमला-वामपंथी उग्रवाद	110	29	52	15
111	मणिपुर	चंदेल	111	81	89	83
112	मिजोरम	मामित	112	101	72	94
113	छत्तीसगढ़	बीजापुर-वामपंथी उग्रवाद	113	52	40	3
114	हिमाचल प्रदेश	चंबा	114	95	113	90
115	नागालैंड	किफायर	115	22	23	108

अनुलग्नक IV

भारत में 640 जिलों की राज्य-वार सूची (जनगणना 2011)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जिले
1	अंडमान व निकोबार	निकोबार
2	अंडमान व निकोबार	दक्षिण अंडमान
3	अंडमान व निकोबार	उत्तर और मध्य अंदमान
4	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
5	आंध्र प्रदेश	वाई.एस.आर
6	आंध्र प्रदेश	नालगोंडा
7	आंध्र प्रदेश	वारंगल
8	आंध्र प्रदेश	महबूबनगर
9	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर
10	आंध्र प्रदेश	चित्तूर
11	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम
12	आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी
13	आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद
14	आंध्र प्रदेश	करीमनगर
15	आंध्र प्रदेश	कृष्णा
16	आंध्र प्रदेश	कुरनूल
17	आंध्र प्रदेश	श्री पॉटी श्रीरामुलू नेल्लोर
18	आंध्र प्रदेश	गुंटूर
19	आंध्र प्रदेश	निजामाबाद
20	आंध्र प्रदेश	मेडक
21	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम
22	आंध्र प्रदेश	खम्मम
23	आंध्र प्रदेश	विजयनगरम
24	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम
25	आंध्र प्रदेश	पश्चिम गोदावरी
26	आंध्र प्रदेश	पूर्व गोदावरी
27	अरूणाचल प्रदेश	दिगांग घाटी
28	अरूणाचल प्रदेश	पश्चिम सियांग
29	अरूणाचल प्रदेश	ऊपरी सियांग
30	अरूणाचल प्रदेश	लोअर दिबांग घाटी
31	अरूणाचल प्रदेश	तिरप
32	अरूणाचल प्रदेश	लोहित
33	अरूणाचल प्रदेश	लोअर सुबानसिरी
34	अरूणाचल प्रदेश	अपर सुबानसिरी
35	अरूणाचल प्रदेश	पश्चिम कामेंग
36	अरूणाचल प्रदेश	पापम पेरे
37	अरूणाचल प्रदेश	चांगलांग
38	अरूणाचल प्रदेश	कुरुंग कुमेय

39	अरूणाचल प्रदेश	तवांग
40	अरूणाचल प्रदेश	पूर्वी सियांग
41	अरूणाचल प्रदेश	अनजव
42	अरूणाचल प्रदेश	पूर्व कार्मेंग
43	असम	कामरूप मेट्रोपॉलिटन
44	असम	धेमाजी
45	असम	हैलाकांडी
46	असम	कोकराझार
47	असम	कछार
48	असम	मोरीगांव
49	असम	लखीमपुर
50	असम	कार्बी आंग्लोंग
51	असम	तिनसुकिया
52	असम	शिवसागर
53	असम	बारपेटा
54	असम	डिब्रूगढ़
55	असम	गोलाघाट
56	असम	गोलपाड़ा
57	असम	जोरहाट
58	असम	नगांव
59	असम	बक्सा
60	असम	सोनितपुर
61	असम	दिमा हासाओ
62	असम	नलबाड़ी
63	असम	कामरूप
64	असम	चिरांग
65	असम	धुबरी
66	असम	करीमगंज
67	असम	बोंगईगांव
68	असम	दरांग
69	असम	उदलगुड़ी
70	बिहार	वैशाली
71	बिहार	पटना
72	बिहार	मुजफ्फरपुर
73	बिहार	भोजपुर
74	बिहार	बेगूसराय
75	बिहार	लखीसराय
76	बिहार	मुंगेर
77	बिहार	जहानाबाद
78	बिहार	समस्तीपुर
79	बिहार	खगरिया
80	बिहार	सरन
81	बिहार	शिवहर

82	बिहार	सीतामढ़ी
83	बिहार	मधेपुरा
84	बिहार	दरभंगा
85	बिहार	नालंदा
86	बिहार	रोहतास
87	बिहार	सहरसा
88	बिहार	पुरा चंपारण
89	बिहार	बक्सर
90	बिहार	मधुबनी
91	बिहार	भागलपुर
92	बिहार	अरवल
93	बिहार	सिवान
94	बिहार	शेखपुरा
95	बिहार	काइमूर (भबुआ)
96	बिहार	बांका
97	बिहार	सुपौल
98	बिहार	औरंगाबाद
99	बिहार	नवादा
100	बिहार	पश्चीम चंपारण
101	बिहार	गोपालगंज
102	बिहार	पूर्णिया
103	बिहार	जमुई
104	बिहार	अररिया
105	बिहार	गया
106	बिहार	कटिहार
107	बिहार	किशनगंज
108	चंडीगढ़	चंडीगढ़
109	छत्तीसगढ़	रायगढ़
110	छत्तीसगढ़	जंजिगिर - चंपा
111	छत्तीसगढ़	बिलासपुर
112	छत्तीसगढ़	सरगुजा
113	छत्तीसगढ़	दुर्ग
114	छत्तीसगढ़	कोरबा
115	छत्तीसगढ़	रायपुर
116	छत्तीसगढ़	कोरिया
117	छत्तीसगढ़	महासमुंद
118	छत्तीसगढ़	धमतरी
119	छत्तीसगढ़	उत्तर बस्तर कांकर
120	छत्तीसगढ़	बीजापुर
121	छत्तीसगढ़	जशपुर
122	छत्तीसगढ़	कबीरधाम
123	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव
124	छत्तीसगढ़	नारायणपुर

125	छत्तीसगढ़	बस्तर
126	छत्तीसगढ़	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
127	दादर व नागर हवेली	दादरा और नगर हवेली
128	दमन व दीव	दमन
129	दमन व दीव	दीव
130	गोवा	उत्तरी गोवा
131	गोवा	दक्षिण गोवा
132	गुजरात	सूरत
133	गुजरात	महेसाणा
134	गुजरात	गांधीनगर
135	गुजरात	अहमदाबाद
136	गुजरात	राजकोट
137	गुजरात	आनंद
138	गुजरात	अमरेली
139	गुजरात	पाटन
140	गुजरात	भावनगर
141	गुजरात	खेड़ा
142	गुजरात	सुरेंद्रनगर
143	गुजरात	वडोदरा
144	गुजरात	बनास कांथा
145	गुजरात	सबर कन्था
146	गुजरात	पोरबंदर
147	गुजरात	जामनगर
148	गुजरात	जूनागढ़
149	गुजरात	भरूच
150	गुजरात	कच्छ
151	गुजरात	नवसारी
152	गुजरात	वलसाड
153	गुजरात	पंच महल
154	गुजरात	नर्मदा
155	गुजरात	दाहोद
156	गुजरात	तापी
157	गुजरात	डेंग्स
158	हरियाणा	महेंद्रगढ़
159	हरियाणा	झज्जर
160	हरियाणा	रेवाड़ी
161	हरियाणा	सोनीपत
162	हरियाणा	अंबाला
163	हरियाणा	कुरुक्षेत्र
164	हरियाणा	रोहतक
165	हरियाणा	करनाल
166	हरियाणा	यमुनानगर
167	हरियाणा	कैथल

168	हरियाणा	गुडगाँव
169	हरियाणा	भिवानी
170	हरियाणा	पानीपत
171	हरियाणा	जींद
172	हरियाणा	फरीदाबाद
173	हरियाणा	हिसार
174	हरियाणा	फतेहाबाद
175	हरियाणा	सिरसा
176	हरियाणा	पंचकुला
177	हरियाणा	पलवल
178	हरियाणा	मेवात
179	हिमाचल प्रदेश	ऊना
180	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा
181	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर
182	हिमाचल प्रदेश	सोलन
183	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर
184	हिमाचल प्रदेश	मंडी
185	हिमाचल प्रदेश	शिमला
186	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर
187	हिमाचल प्रदेश	चंबा
188	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू
189	हिमाचल प्रदेश	किन्नौर
190	हिमाचल प्रदेश	लाहौल और स्पिति
191	जम्मू व काश्मीर	सांबा
192	जम्मू व काश्मीर	जम्मू
193	जम्मू व काश्मीर	पुलवामा
194	जम्मू व काश्मीर	कठुआ
195	जम्मू व काश्मीर	बड़गाम
196	जम्मू व काश्मीर	अनंतनाग
197	जम्मू व काश्मीर	बारामुला
198	जम्मू व काश्मीर	गांदरबल
199	जम्मू व काश्मीर	राजौरी
200	जम्मू व काश्मीर	श्रीनगर
201	जम्मू व काश्मीर	शुपियन
202	जम्मू व काश्मीर	कुपवाड़ा
203	जम्मू व काश्मीर	कुलगाम
204	जम्मू व काश्मीर	उधमपुर
205	जम्मू व काश्मीर	बांदीपुरा
206	जम्मू व काश्मीर	पंच
207	जम्मू व काश्मीर	रियासी
208	जम्मू व काश्मीर	किश्तवाड़
209	जम्मू व काश्मीर	रामबन
210	जम्मू व काश्मीर	डोडा

211	जम्मू व काश्मीर	लेह (लद्दाख)
212	जम्मू व काश्मीर	कारगिल
213	झारखंड	धनबाद
214	झारखंड	पूर्वी सिंहभूम
215	झारखंड	बोकारो
216	झारखंड	रामगढ़
217	झारखंड	हजारीबाग
218	झारखंड	रांची
219	झारखंड	गिरिडीह
220	झारखंड	साराइकेला- खारसाना
221	झारखंड	पलामू
222	झारखंड	कोडरमा
223	झारखंड	देवघर
224	झारखंड	जामताड़ा
225	झारखंड	गढ़वा
226	झारखंड	साहिबगंज
227	झारखंड	गोड्डा
228	झारखंड	गुमला
229	झारखंड	खूंटी
230	झारखंड	दुमका
231	झारखंड	चतरा
232	झारखंड	लातेहार
233	झारखंड	सिमडेगा
234	झारखंड	लोहरदगा
235	झारखंड	पाकुर
236	झारखंड	पश्चीमी सिंहभूम
237	कर्नाटक	बीजापुर
238	कर्नाटक	बेलगाम
239	कर्नाटक	बागलकोट
240	कर्नाटक	मंड्या
241	कर्नाटक	बीदर
242	कर्नाटक	गुलबर्गा
243	कर्नाटक	धारवाड़
244	कर्नाटक	बैंगलोर
245	कर्नाटक	हावेरी
246	कर्नाटक	चित्रदुर्ग
247	कर्नाटक	गडग
248	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड़
249	कर्नाटक	दावनगेरे
250	कर्नाटक	बैंगलोर ग्रामीण
251	कर्नाटक	रायचूर
252	कर्नाटक	यादगीर
253	कर्नाटक	चिक्कबल्लपुर

254	कर्नाटक	चामराजनगर
255	कर्नाटक	उत्तर कन्नड़
256	कर्नाटक	कोप्पल
257	कर्नाटक	उडुपी
258	कर्नाटक	तुमकुर
259	कर्नाटक	बेल्लारी
260	कर्नाटक	शिमोगा
261	कर्नाटक	मैसूर
262	कर्नाटक	रामनगर
263	कर्नाटक	कोलार
264	कर्नाटक	चिकमंगलूर
265	कर्नाटक	हसन
266	कर्नाटक	कोडागू
267	केरल	त्रिशूर
268	केरल	अलाप्पुझा
269	केरल	एर्नाकुलम
270	केरल	कासरगोड
271	केरल	कोट्टायम
272	केरल	तिरुवनंतपुरम
273	केरल	इडुक्की
274	केरल	वायनाड
275	केरल	मलप्पुरम
276	केरल	पलक्कड़
277	केरल	कोझिकोड
278	केरल	कन्नूर
279	केरल	कोल्लम
280	केरल	पथानामथिट्टा
281	लक्ष्यद्वीप	एक लक्ष्य द्वीप
282	मध्य प्रदेश	मोरेना
283	मध्य प्रदेश	ग्वालियर
284	मध्य प्रदेश	भिंड
285	मध्य प्रदेश	दतिया
286	मध्य प्रदेश	रीवा
287	मध्य प्रदेश	टीकमगढ़
288	मध्य प्रदेश	शिवपुरी
289	मध्य प्रदेश	श्योपुर
290	मध्य प्रदेश	छतरपुर
291	मध्य प्रदेश	इंदौर
292	मध्य प्रदेश	गुना
293	मध्य प्रदेश	सतना
294	मध्य प्रदेश	नरसिंहपुर
295	मध्य प्रदेश	सीहोर
296	मध्य प्रदेश	पन्ना

297	मध्य प्रदेश	सीधी
298	मध्य प्रदेश	देवास
299	मध्य प्रदेश	होशंगाबाद
300	मध्य प्रदेश	भोपाल
301	मध्य प्रदेश	शाजापुर
302	मध्य प्रदेश	राजगढ़
303	मध्य प्रदेश	अशोकनगर
304	मध्य प्रदेश	जबलपुर
305	मध्य प्रदेश	सिंगरौली
306	मध्य प्रदेश	बुरहानपुर
307	मध्य प्रदेश	सागर
308	मध्य प्रदेश	विदिशा
309	मध्य प्रदेश	नीमच
310	मध्य प्रदेश	मंदसौर
311	मध्य प्रदेश	हरदा
312	मध्य प्रदेश	दमोह
313	मध्य प्रदेश	धार
314	मध्य प्रदेश	उज्जैन
315	मध्य प्रदेश	रायसेन
316	मध्य प्रदेश	पूर्व निमर
317	मध्य प्रदेश	पश्चिम निमर
318	मध्य प्रदेश	कटनी
319	मध्य प्रदेश	रतलाम
320	मध्य प्रदेश	उमरिया
321	मध्य प्रदेश	झाबुआ
322	मध्य प्रदेश	बड़वानी
323	मध्य प्रदेश	शाहडोल
324	मध्य प्रदेश	अनूपपुर
325	मध्य प्रदेश	सिवनी
326	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा
327	मध्य प्रदेश	बेतुल
328	मध्य प्रदेश	बालाघाट
329	मध्य प्रदेश	मंडला
330	मध्य प्रदेश	डिंडोरी
331	मध्य प्रदेश	अलीराजपुर
332	महाराष्ट्र	बोली
333	महाराष्ट्र	जलगांव
334	महाराष्ट्र	अहमदनगर
335	महाराष्ट्र	बुलढाणा
336	महाराष्ट्र	औरंगाबाद
337	महाराष्ट्र	कोल्हापुर
338	महाराष्ट्र	वाशिम
339	महाराष्ट्र	सांगली

340	महाराष्ट्र	उस्मानाबाद
341	महाराष्ट्र	जलना
342	महाराष्ट्र	हिंगोली
343	महाराष्ट्र	सोलापुर
344	महाराष्ट्र	पुणे
345	महाराष्ट्र	परभनी
346	महाराष्ट्र	लातूर
347	महाराष्ट्र	नासिक
348	महाराष्ट्र	सतारा
349	महाराष्ट्र	धुले
350	महाराष्ट्र	नांदेड़
351	महाराष्ट्र	अकोला
352	महाराष्ट्र	मुंबई उपनगर
353	महाराष्ट्र	मुबंई सिटी
354	महाराष्ट्र	वर्धा
355	महाराष्ट्र	यवतमाल
356	महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग
357	महाराष्ट्र	थाइन
358	महाराष्ट्र	नागपुर
359	महाराष्ट्र	रायगढ़
360	महाराष्ट्र	अमरावती
361	महाराष्ट्र	रत्नागिरी
362	महाराष्ट्र	नंदुरबार
363	महाराष्ट्र	भंडारा
364	महाराष्ट्र	चंद्रपुर
365	महाराष्ट्र	गोंदिया जिला
366	महाराष्ट्र	गडचिरोली
367	मणिपुर	तामेंगलांग
368	मणिपुर	सेनापति
369	मणिपुर	चंदेल
370	मणिपुर	उखरूल
371	मणिपुर	बिश्नुपुर
372	मणिपुर	थौबल
373	मणिपुर	इंफाल ईस्ट
374	मणिपुर	छुरछंदपुर
375	मणिपुर	इंफाल वेस्ट
376	मेघालय	रिभोई
377	मेघालय	पूर्वी खासी हिल्स
378	मेघालय	पश्चिम खासी हिल्स
379	मेघालय	दक्षिण गारो हिल्स
380	मेघालय	वेस्ट गारो हिल्स
381	मेघालय	जयंतिया हिल्स
382	मेघालय	पूर्वी गारो हिल्स

383	मिजोरम	सैहा
384	मिजोरम	सेरछिप
385	मिजोरम	लुंगलेई
386	मिजोरम	लवनग्टलाई
387	मिजोरम	चम्फाई
388	मिजोरम	मामित
389	मिजोरम	आइजोल
390	मिजोरम	कोलासिब
391	नागालैंड	लोंगलेंग
392	नागालैंड	सोम
393	नागालैंड	फेक
394	नागालैंड	तुएनसांग
395	नागालैंड	पेरेन
396	नागालैंड	किफायर
397	नागालैंड	जुनहेबोटो
398	नागालैंड	मोकोकचुंग
399	नागालैंड	वोखा
400	नागालैंड	दीमापुर
401	नागालैंड	कोहिमा
402	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	दक्षिण पश्चिम
403	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	उत्तर पश्चिम
404	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	पूर्व
405	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	पश्चिम
406	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	उत्तर
407	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	उत्तर-पूर्वी
408	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	दक्षिण
409	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	नई दिल्ली
410	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	केंद्रीय
411	ओड़िशा	नयागढ़
412	ओड़िशा	ढेंकनाल
413	ओड़िशा	अनुगुल
414	ओड़िशा	गंजम
415	ओड़िशा	कटक
416	ओड़िशा	खोरधा
417	ओड़िशा	जाजपुर
418	ओड़िशा	केंद्रपाड़ा
419	ओड़िशा	देवगढ़
420	ओड़िशा	जगतसिंहपुर
421	ओड़िशा	पुरी
422	ओड़िशा	संबलपुर
423	ओड़िशा	भद्रक
424	ओड़िशा	बालेश्वर
425	ओड़िशा	झारसुगुडा

426	ओड़िशा	सुंदरगढ़
427	ओड़िशा	सुबरनापुर
428	ओड़िशा	बलांगीर
429	ओड़िशा	बारगढ़
430	ओड़िशा	कालाहांडी
431	ओड़िशा	मयूरभंज
432	ओड़िशा	कंधमाल
433	ओड़िशा	रायगढ़
434	ओड़िशा	केंदुझार
435	ओड़िशा	गजपति
436	ओड़िशा	बुध
437	ओड़िशा	कोरापुट
438	ओड़िशा	नुआपाड़ा
439	ओड़िशा	मल्कानगिरी
440	ओड़िशा	नबरंगपुर
441	पुद्दुचेरी	यानम
442	पुद्दुचेरी	कराईकल
443	पुद्दुचेरी	पुडुचेरी
444	पुद्दुचेरी	माहे
445	पंजाब	तरण तारण
446	पंजाब	गुरदासपुर
447	पंजाब	अमृतसर
448	पंजाब	मुक्तसर
449	पंजाब	मनसा
450	पंजाब	पटियाला
451	पंजाब	संगरूर
452	पंजाब	साहिबजादा अजीत सिंह नगर
453	पंजाब	फतेहगढ़ साहिब
454	पंजाब	बरनाला
455	पंजाब	फिरोजपुर
456	पंजाब	फरीदकोट
457	पंजाब	बठिंडा
458	पंजाब	लुधियाना
459	पंजाब	मोगा
460	पंजाब	रूपनगर
461	पंजाब	होशियारपुर
462	पंजाब	कपूरथला
463	पंजाब	जालंधर
464	पंजाब	शाहिद भगत सिंह नगर
465	राजस्थान	झुंझुनूं
466	राजस्थान	सीकर
467	राजस्थान	करौली
468	राजस्थान	गंगानगर

469	राजस्थान	धौलपुर
470	राजस्थान	जयपुर
471	राजस्थान	अलवर
472	राजस्थान	दौसा
473	राजस्थान	भरतपुर
474	राजस्थान	सवाई माधोपुर
475	राजस्थान	जैसलमेर
476	राजस्थान	हनुमानगढ़
477	राजस्थान	जोधपुर
478	राजस्थान	टोंक
479	राजस्थान	बूंदी
480	राजस्थान	जालोर
481	राजस्थान	नागौर
482	राजस्थान	सिरोही
483	राजस्थान	कोटा
484	राजस्थान	पाली
485	राजस्थान	अजमेर
486	राजस्थान	चुरू
487	राजस्थान	राजसमंद
488	राजस्थान	बाड़मेर
489	राजस्थान	बीकानेर
490	राजस्थान	बरन
491	राजस्थान	चितौड़गढ़
492	राजस्थान	झालावाड़
493	राजस्थान	डूंगरपुर
494	राजस्थान	उदयपुर
495	राजस्थान	भीलवाड़ा
496	राजस्थान	प्रतापगढ़
497	राजस्थान	बांसवाड़ा
498	सिक्किम	उत्तर जिला
499	सिक्किम	दक्षिण जिला
500	सिक्किम	पूर्व जिला
501	सिक्किम	पश्चिम जिला
502	तमिलनाडु	कुड्डालोर
503	तमिलनाडु	अरियालुर
504	तमिलनाडु	धर्मपुरी
505	तमिलनाडु	पेरम्बलुर
506	तमिलनाडु	नमक्कल
507	तमिलनाडु	सलेम
508	तमिलनाडु	कृष्णागिरी
509	तमिलनाडु	तिरुवन्नामलाई
510	तमिलनाडु	मदुरै
511	तमिलनाडु	तब मैं

512	तमिलनाडु	डिंडीगुल
513	तमिलनाडु	करूर
514	तमिलनाडु	विलुप्पुरम
515	तमिलनाडु	वेल्लोर
516	तमिलनाडु	तिरुवल्लुर
517	तमिलनाडु	तिरुचिरापल्ली
518	तमिलनाडु	चेन्नई
519	तमिलनाडु	तिरुपूर
520	तमिलनाडु	इरोड
521	तमिलनाडु	विरुधुनगर
522	तमिलनाडु	कोयंबटूर
523	तमिलनाडु	तंजावुर
524	तमिलनाडु	थिरुवरुर
525	तमिलनाडु	कांचीपुरम
526	तमिलनाडु	नागपट्टिनम
527	तमिलनाडु	शिवगंगा
528	तमिलनाडु	पुदुक्कोट्टई
529	तमिलनाडु	तिरुनेलवेली
530	तमिलनाडु	रामनाथपुरम
531	तमिलनाडु	थूथुकुडी
532	तमिलनाडु	कन्याकुमारी
533	तमिलनाडु	निलगिरी
534	त्रिपुरा	दक्षिण त्रिपुरा
535	त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा
536	त्रिपुरा	धलाई
537	त्रिपुरा	उत्तर त्रिपुरा
538	उत्तर प्रदेश	बागपत
539	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर
540	उत्तर प्रदेश	गाज़ियाबाद
541	उत्तर प्रदेश	मेरठ
542	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर
543	उत्तर प्रदेश	आगरा
544	उत्तर प्रदेश	मुजफ्फरनगर
545	उत्तर प्रदेश	महामयान नगर
546	उत्तर प्रदेश	झांसी
547	उत्तर प्रदेश	मथुरा
548	उत्तर प्रदेश	कानपुर नगर
549	उत्तर प्रदेश	इटावा
550	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़
551	उत्तर प्रदेश	एटा
552	उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद
553	उत्तर प्रदेश	जालौन
554	उत्तर प्रदेश	बिजनौर

555	उत्तर प्रदेश	मैनपुरी
556	उत्तर प्रदेश	वाराणसी
557	उत्तर प्रदेश	हमीरपुर
558	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर
559	उत्तर प्रदेश	फर्रुखाबाद
560	उत्तर प्रदेश	महोबा
561	उत्तर प्रदेश	काशीराम नगर
562	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद
563	उत्तर प्रदेश	औरैया
564	उत्तर प्रदेश	कानपुर देहट
565	उत्तर प्रदेश	कन्नौज
566	उत्तर प्रदेश	शाहजहांपुर
567	उत्तर प्रदेश	हरदोई
568	उत्तर प्रदेश	बलिया
569	उत्तर प्रदेश	संत रवीदास नगर (भदोही)
570	उत्तर प्रदेश	बांदा
571	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर
572	उत्तर प्रदेश	शाहजहांपुर
573	उत्तर प्रदेश	बरेली
574	उत्तर प्रदेश	ज्योतिबा फुले नगर
575	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर
576	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट
577	उत्तर प्रदेश	गाजीपुर
578	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर
579	उत्तर प्रदेश	चंदौली
580	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत
581	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
582	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद
583	उत्तर प्रदेश	ललितपुर
584	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़
585	उत्तर प्रदेश	जौनपुर
586	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़
587	उत्तर प्रदेश	उन्नाव
588	उत्तर प्रदेश	खेरी
589	उत्तर प्रदेश	सुल्तानपुर
590	उत्तर प्रदेश	कौशाम्बी
591	उत्तर प्रदेश	रामपुर
592	उत्तर प्रदेश	देवरिया
593	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र
594	उत्तर प्रदेश	रायबरेली
595	उत्तर प्रदेश	मऊ
596	उत्तर प्रदेश	गोंडा
597	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती

598	उत्तर प्रदेश	बस्ती
599	उत्तर प्रदेश	कुशीनगर
600	उत्तर प्रदेश	सीतापुर
601	उत्तर प्रदेश	फैजाबाद
602	उत्तर प्रदेश	महाराजगंज
603	उत्तर प्रदेश	बारा बैंकी
604	उत्तर प्रदेश	अम्बेडकर नगर
605	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थनगर
606	उत्तर प्रदेश	बहराइच
607	उत्तर प्रदेश	संत कबीर नगर
608	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर
609	उत्तराखंड	पिथोरागढ़
610	उत्तराखंड	चम्पावत
611	उत्तराखंड	हरद्वार
612	उत्तराखंड	देहरादून
613	उत्तराखंड	चमोली
614	उत्तराखंड	टिहरी गढ़वाल
615	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर
616	उत्तराखंड	नैनीताल
617	उत्तराखंड	गढ़वाल
618	उत्तराखंड	बागेश्वर
619	उत्तराखंड	रुद्रप्रयाग
620	उत्तराखंड	उत्तरकाशी
621	उत्तराखंड	अल्मोड़ा
622	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
623	पश्चिम बंगाल	पुरा मेदिनीपुर
624	पश्चिम बंगाल	कोच बिहार
625	पश्चिम बंगाल	बांकुड़ा
626	पश्चिम बंगाल	मालदा
627	पश्चिम बंगाल	बर्द्धमान
628	पश्चिम बंगाल	हुगली
629	पश्चिम बंगाल	दारजिलिंग
630	पश्चिम बंगाल	पुरुलिया
631	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनाजपुर
632	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी
633	पश्चिम बंगाल	उत्तर चौदह परगना
634	पश्चिम बंगाल	दक्षिण दिनाजपुर
635	पश्चिम बंगाल	बीरभूम
636	पश्चिम बंगाल	नादिया
637	पश्चिम बंगाल	हओरा
638	पश्चिम बंगाल	पश्चिम मेदिनीपुर
639	पश्चिम बंगाल	दक्षिण चौदह परगना
640	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद